झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट (विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय) परीक्षा– 2023 के पुनरीक्षण के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या – ......31....../2023

एतद् द्वारा वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट (विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय) परीक्षा, 2023 से संबंधित सभी छात्र/छात्राओं, अभिभावकों एवं विद्यालयों/महाविद्यालयों/+2 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों/प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट (विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय) परीक्षा– 2023 के जो छात्र/छात्रा अपने विषय/विषयों के प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं हैं, वे स्क्रूटनी के लिए अपना आवेदन **दिनांक 06.06.2023 से 21.06.2023** तक झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के वेबसाइट (www.jac.jharkhand.gov.in\jac) के माध्यम से ऑनलाइन जमा करेंगे। स्क्रूटनी के लिए आवेदन जमा करने की विधि निम्नवत् होगी :–

- परिषद् के वेबसाइट पर स्क्रूटनी के लिए देय प्रपत्र में अपना पंजीयन करेंगे एवं वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा–निर्देश के अनुरुप आवेदन प्रपत्र भरेंगे।
- प्रत्येक सैद्धांतिक विषय का पुनरीक्षण शुल्क माध्यमिक परीक्षा के लिए ₹ 450/– (चार सौ पचास) रुपये तथा इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए ₹ 750/– (सात सौ पचास) रुपये सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से देय होगा।
- स्क्रूटनी मात्र सैद्धान्तिक परीक्षा अर्थात् उत्तरपुस्तिका के माध्यम से आयोजित परीक्षा के लिए ही मान्य होगा। OMR, Practical एवं Internal assessment में प्राप्त अंकों की स्क्रूटनी पर विचार नहीं किया जाएगा।

I. स्क्रूटनी में निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जाएगा :–
   (क) अंदर के पृष्ठों में नियोजित अंक अगर मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसे मुख्य पृष्ठ पर अंकित करते हुए योग में सुधार किया जाएगा।
   (ख) अगर कोई प्रश्नोत्तर बिना मूल्यांकन के रह गया है तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा।
   (ग) अंकों का योग अगर सही नहीं है तब उसमें सुधार किया जाएगा।

II. स्क्रूटनी के लिए आवेदन देने वाले छात्रों को स्पष्ट किया जाता है कि स्क्रूटनी के तहत मूल्यांकित प्रश्नों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है जिससे अंक वृद्धि की संभावना कम रहती है। अतएव वार्षिक परीक्षा– 2023 के अनुत्तीर्ण छात्रों को सलाह दी जाती है कि स्क्रूटनी के फलाफल की प्रतीक्षा किए बिना सम्पूरक (Compartmental) परीक्षा– 2023 अथवा वार्षिक परीक्षा– 2024 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र भर सकते हैं।

III. निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

IV. निर्धारित तिथि के बाद अथवा डाक/कुरियर/ई–मेल या अन्य किसी माध्यम से भेजा गया स्क्रूटनी हेतु आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जाएगा।

JAC/ल०/5831/22/SEC-4/468/23.
Dt- 31/5/23.
D.O.P- 01/6/23.

अध्यक्ष के आदेश से,

(महीप कुमार सिंह)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।